राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार / स्कैनिंग / 2023 / 575 दिनांक : 13/02/2023

–:अल्पकालीन सीमित निविदा सूचना सं. 01 / 2022–23:–

विषयः–सीमित निविदा के अन्तर्गत पत्रावलियां एवं कार्यालय टिप्पणी का स्कैनिंग कार्य कराये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (चिकित्सा पक्ष) की पत्रावलियों एवं कार्यालय टिप्पणी का स्कैनिंग कार्य सीमित निविदा के अन्तर्गत (अनुमानित राशि 1.95 लाख रू.) मय समस्त संसाधन यथा मशीने मय ऑपरेटर आदि के समस्त कर / खर्च सहित कराया जाना है। कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

कार्य का नाम	**स्कैनिंग कार्य पृष्ठ का नाम**
निदेशालय चिकित्सा पक्ष में संधारित पत्रावलियां एवं कार्यालय टिप्पणी का स्कैनिंग कार्य।	ए–4 साईज एक तरफ
	ए–4 साईज दोनो तरफ
	एफ.एस. साईज एक तरफ
	एफ.एस. साईज दो तरफ

यदि आप उक्त कार्य करने के इच्छुक है, तो उक्त कार्य की दरें वित्तीय निविदा प्रपत्र – "ब" में मय संसाधन एवं समस्त कर / खर्च सहित इस कार्यालय के भण्डार अनुभाग में दिनांक 16.02.2023 को मध्यान्ह 12.30 बजे तक प्रस्तुत करने का श्रम करें। निर्धारित समय पर प्राप्त सीमित निविदा उक्त दिनांक 16.02.2023 को मध्यान्ह 1.00 बजे उपापन समिति के समक्ष / द्वारा खोली जायेगी।

नोटः–

(1) सीमित निविदा की समस्त शर्तें संलग्न है।

(2) सीमित निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in एवं एस.पी.पी.पी पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड कर देखी जाकर भरी जा सकती है एवं कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

UBN NO: MHS2223WSRC05558

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार / स्केनिंग / 2023 / दिनांक :

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते – "अ"
(अल्पकालीन सीमित निविदा सूचना सं. 01 / 2022–23)

1. कार्य का नामः– निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर में चिकित्सा पक्ष की पत्रावलियों एवं कार्यालय टिप्पणी का स्कैनिंग कार्य न्यूनतम 05 मशीन मय ऑपरेटर एवं अन्य आवश्यक संसाधनो के कार्यादेश दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्तर्गत स्कैनिंग कार्य किया जाना है।
2. स्कैनिंग कार्य की दरें वित्तीय निविदा प्रपत्र–"ब" में मशीन मय ऑपरेटर समस्त कर एवं समस्त खर्च सहित दी जानी है। विभाग द्वारा अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. स्कैनिंग कार्य के लिये कमप्यूटर एवं इन्टरनेट विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. निर्धारित निविदा प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
5. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए। निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का व्यवसाय करती हो।
6. निविदा के सभी प्रपत्र व निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होगें।
7. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
8. निविदा दिनांक 16.02.2023 को मध्यान्ह 12.00 पी.एम. बजे तक कार्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर के स्थायी भण्डार अनुभाग में पहुंच जानी चाहिए। समय पश्चात् प्राप्त निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
9. निविदा दिनांक 16.02.2023 को उपिस्थत निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मध्यान्ह 1.00 बजे पश्चात् खोली जावेगी।
10. यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
11. यदि भागीदारी का है–भागीदारी–डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पतें।
12. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टीकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम पूर्ण पतें।
13. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।

14. गत तीन वर्षों में स्कैनिंग संबंधी कार्य का अनुभव पूर्ण विवरण एवं इससे संबंधित राजकीय कार्यालय/अर्द्ध सरकारी कार्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जावें।
15. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा इसके कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
16. किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
17. स्केनिंग का कार्य सामान्यतया प्रातः 9.30 बजे से 7 बजे तक कार्यालय में कराया जावेगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी एवं अतिरिक्त समय में भी स्कैंनिग कार्य कराया जा सकेगा जिसके लिए अलग से काई परिश्रमिक अथवा शर्त मंजूर नहीं होगी।
18. स्केन की गई पत्रावलियों की सॉफ्ट कॉपी/पीडीएफ/उच्च गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर द्वारा बनायी जानी चाहिए।
19. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के किसी भी भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
20. निविदा के अन्तर्गत निविदादाता को एक पंजिका का संधारण करना होगा जिसमें इन्डेंट के आधार पर प्रत्येक अनुभाग की प्रत्येक दिन की गई स्कैनिंग (पृष्ठवार) का इन्द्राज होगा एवं प्रतिदिन की गई स्केनिंग का योग लगाया जावेगा। निविदादाता स्केनिंग हेतु जारी किये गये इण्डेट के आधार पर स्केनिंग करेगा। उक्त इन्डेंट पर संबंधित सेक्शन के प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षर होंगे। फर्म द्वारा भुगतान हेतु बिल के साथ मूल इंडेट संलग्न करना होगा।
21. संविदा अवधि मे यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद पर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर विभाग का निर्णय अंतिम एवं दोनो को मान्य होगा।
22. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर महानगर स्थित न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
23. स्कैंनिंग कार्य के दौरान संविदा कार्मियों से राजकीय सम्पति की कोई क्षति होती है तो यह राशि अनुबंधकर्ता के भुगतान से वूसल करने का विभाग को अधिकार होगा।
24. अनुबंधकर्ता को स्कैंनिग मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति/व्यक्तिों यदि स्वंय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो, का पूर्ण ब्यौरा विभाग को देना होगा। सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कार्मिक पूर्णतः दक्ष है।

25. अनुमोदित प्रदायक अनुबन्धकर्ता किसी भी पत्रावली/पत्र/पत्रादि की अतिरिक्त प्रति नहीं निकालेगा न अपने पास रख सकेगा और न ही विभाग के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा। स्केन की गई पत्रावलियो की सॉफ्ट कॉपी संबंधित शाखा/ अनुभाग/अधिकारी को उपलब्ध कराने के उपरांत फर्म द्वारा अपने सिस्टम से उक्त सॉफ्ट कॉपी तुरंत प्रभाव से Delete कर दी जावेगी। इस शर्त की पालना के अभाव में अनुबंध निरस्त करने एवं नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करने का अधिकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर विभाग को होगी।

26. विभाग द्वारा निविदादाता को मशीन रखने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जावेगा तथा स्केनिंग मशीन का विद्युत खर्च विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

27. स्कॅनिग हेतु नवीन व अत्याधुनिक मशीन प्रयोग में ली जावेगी।

28. स्कॅनिंग मशीन खराब रहने की अवधि में वैकल्पिक रूप से कार्य अन्य जगह से करवाने की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। अन्यथा स्कॅनिग कार्य के व्यय के अतिनिक्त प्रभार के साथ 500/– प्रतिदिन की दर से शास्ति के रूप में कटौती की जाएगी।

29. स्कॅनिग मशीन यदि बार–बार खराब होगी तो मशीन को बदलने की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। यही शर्त ऑपरेटर पर भी लागू होती है।

30. स्कॅनिग कार्य हेतु भुगतान की जानी वाली राशि में नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस. टी. आदि की काटौती की जाएगी।

31. सीमित निविदा पर RTPP ACT 2012 तथा RTPP RULES 2013 के प्रावधान पूर्णतया लागू होंगे।

32. उक्त निविदा की सभी शर्तें सावधानी पूर्व पढ़ ली गयी है एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने पर सहमत है।

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
मय फर्म की मोहर
पता....................................
....
टेलिफोन न............................
ई–मेल आई.डी..........................

सीमित निविदा वित्तीय प्रपत्र –"ब"

क्र.सं.	स्कैनिंग कार्य	दर प्रति पृष्ठ अंको व शब्दो में
1	ए–4 साईज एक तरफ	
2	ए–4 साईज दोनो तरफ	
3	एफ.एस./लीगल साईज एक तरफ	
4	एफ.एस./लीगल साईज दो तरफ	

1	**स्कैनर मशीन का नाम व संख्या**	
2.	**स्कैनर मशीन ऑपरेटर की संख्या**	

1. कार्य की दरे समस्त कर /खर्च एवं समस्त व्ययो सहित दी जानी है। अन्य कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
मय फर्म की मोहर
पता....................................
....
टेलिफोन न............................
ई–मेल आई.डी..........................